स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी **सरहद मौजा- निम्बोल, तहसील-जैतारण खसरा नंबर 1013 कुल रकबा 1.3274 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम** है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर प्लॉटिंग कर कॉलोनी काट कर आवासीय एंव अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी पटवार हल्का निम्बोल की मौका फर्द दिनाँक 13.04.2023 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती हैं। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करके आवासीय कॉलोनी के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद-पत्र भली-भाँति साबित होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 भली-भाँति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। ग्रस्त **आराजी ग्राम- निम्बोल, पटवार हल्का- निम्बोल, तहसील- जैतारण के खसरा नंबर 13 कुल रकबा 1.3274 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम** से प्रतिवादीगण खातेदारान् के तेदारी अधिकार को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज ने के आदेश किए जाते हैं। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के ग्न पटवारी मौका रिपार्ट में लाल स्यायी से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। वली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक **01/04/2025** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)